N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0135 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/07/2024 18:41 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 04/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 20:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/07/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/07/2024 18:41:32 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 3 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Kota Road Baran, Chhotu ki Chay ki Thri, Civil line Choraha ke pass

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Pannalal Kolee

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Duleechand

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1954 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Shahabad Road, Mandola Ward, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Shahabad Road, Mandola Ward, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Amardeep Meena		पिता:Murarilal Meena	1. Malarna Chodh,Malarna Dungar,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	Banwari Vaishnav		पिता:Rameshwer Vaishnav	1. Radhe Nager,BARAN,RAJASTHAN,INDI
3	Bhrat Vaishnav		पिता:Ramkalyan Vaishnav	1. Atru Road,Kunjbihari Colony,BARAN,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् इस प्रकार है कि दिनांक 02.07.2023 समय 3.00 पीएम पर परिवादी श्री पन्नालाल पुत्र श्री दुलीचन्द जाति कोली उम्र 70 साल निवासी पुराना जुगल किशोर जी के मकान के पास मण्डोला वार्ड बारां जिला बारां राज0 ने ब्यूरो कार्यालय एसीबी बारां मे उपस्थित होकर स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय का पेश किया कि मैं मण्डोला वार्ड बारां का रहने वाला हू तथा दिनांक 05.06.2023 को मेरी बेटी दीपिका के साथ रामगोपाल गुर्जर ने छेड छाड कर दी थी जिसकी एफआईआर महिला थाना बारां में दर्ज करवाई थी। उक्त प्रकरण में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बारां की और से मेरी बैटी को 150000 रूपये की सहायता राशि प्राप्त होनी है। उक्त राशि को दिलवाने के बदले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बारां के बाबूजी, दलाल भरत के माध्यम से 25 हजार रूपये की मांग कर रहे है। मै इन लोगो को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हू। मै इनको रंगे हाथ पकडवाना चाहता हू। मेरी इन लोगो से कोई आपसी रंजिश नहीं है और ना ही कोई लेनदेन शेष है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। परिवादी पन्नालाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मजमून दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आना पाया जाता है इसलिऐ रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। इस पर परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन करवाने के बारे में कहा गया तो परिवादी ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बारां के बाबू जी ने भरत नाम के एक दलाल को बात करने के लिये मेरे पास भिजवाया था जो मुझसे फोन पर ही रिश्वत राशि के बारे में आज शाम को बात करेगा। समय 06.47 पी0एम0 पर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर कार्यालय के मालखाने से निकलवाया जाकर चालू व बंद करने की समझाईश की गई। इसी दौरान परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपी दलाल भरत के मोबाईल नम्बर [redacted] से फोन आया इस पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन कर वार्ता करवायी तो आरोपी दलाल भरत ने परिवादी से रिश्वत राशि के संबंध में पूछ कर बताने की कहा तथा अपने अधिकारी से परिवादी की वार्ता भी करवायी। उक्त वार्ता में भरत के समाज कल्याण के अधिकारी ने रिश्वत राशि के संबंध में परिवादी को दलाल भरत से वार्ता करने के लिए कहा। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया। समय 06.50 पी0एम0 डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी के मोबाईल नम्बर 8104112381 से आरोपी दलाल भरत के मोबाईल नम्बर 7850075379 पर फोन करवाकर स्पीकर आन कर वार्ता करवायी तो आरोपी दलाल भरत ने परिवादी को रिश्वत राशि उसके अधिकारी से पुछ कर अगले दिन बताने की कहा। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया। परिवादी को दिनांक 03.07.2024 को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु आवश्यक हिदायत कर सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 03.07.2024 को समय 10.00 ए0एम0 पर परिवादी श्री पन्नालाल कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक को बताया कि आज सुबह भरत दलाल मेरे पास आया था तथा उसने मुझसे मेरी बेटी के खाते में सहायता राशि जमा करवाने की एवज में 25 हजार रूपये की मांग की गई इस पर मैने अपने परिवार में वार्ता कर रिश्वत राशि के संबंध में बाद में बताने की उससे कहा तो उसने कहा कि फोन करके मुझे बता देना। भरत के अचानक से मेरे घर पर आने से इस संबंध में आपको नहीं बता सका। उसके जाने के बाद आपके पास आया हू। परिवादी ने बताया कि वह फोन पर ही रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता करेगा। समय 10.35 ए0एम0 पर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर कार्यालय के मालखाने से निकलवाया जाकर चालू व बंद करने की समझाईश की गई। इसी दौरान परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी दलाल भरत के मोबाईल नम्बर [redacted] पर फोन करवाया गया तथा परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन कर वार्ता करवायी तो आरोपी दलाल भरत ने परिवादी से 20 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिसमें प्रथम किस्त 50 हजार रूपये जमा होने पर 10 हजार रूपये एवं दूसरी किस्त एक लाख रूपये जमा होने पर 10 हजार रूपये देने की वार्ता हुई। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया। परिवादी पन्नालाल कोली को आरोपी दलाल भरत के रिश्वत राशि लेने सम्बन्धि कॉल करने पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 04.07.2024 को समय 10.00 ए0एम0 पर परिवादी श्री पन्नालाल ने अपने मोबाईल से मन उप अधीक्षक को फोन कर बताया कि आज सुबह 9.35 बजे के करीब भरत दलाल का फोन आया था।

भरत दलाल ने फोन पर मुझसे कहा कि तुम्हारी बेटी दीपिका के खाते में प्रथम किस्त 50 हजार रूपये डल गये है इसलिये तुम चैक कर लो और अपनी बात के अनुसार 10 हजार रूपये की आज ही व्यवस्था भी कर लो। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को अपनी पुत्री के बैंक खाते में सहायता राशि चैक कर मय रिश्वत राशि 10 हजार रूपये के साथ एसीबी चैकी बारां पर उपस्थित आने की हिदायत की गई। ट्रेप कार्यवाही होने की संम्भावना होने पर स्वतंत्र गवाहो की आवश्यक होने से अधिशाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बारां के नाम पत्रांक 802 दिनांक 04.07.2024 जारी कर दो स्वतंत्र गवाह लाने के लिये श्री लोकेश कानि0 362 को भिजवाया गया। समय 01.15 पी0एम0 पर परिवादी श्री पन्नालाल एसीबी चैकी बारां पर उपस्थित आया एवं मन उप अधीक्षक को बताया कि मै बैंक में गया था जहां पर मैने मेरी बेटी दीपिका के बैंक खाते का बेलेंस चैक करवाया तो उसमें 50 हजार रूपये आना बैंक वालो ने बताया है। आरोपी दलाल आज ही मुझसे रिश्वत राशि 10 हजार रूपये प्राप्त करेगा इसलिये मै 10 हजार रूपये रिश्वत राशि साथ लेकर आया हू। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि अपने पास रखने एवं मांगने पर पेश करने की हिदायत की गई। समय 01.40 पी0एम0 पर श्री लोकेश कानि0 362 स्वतंत्र गवाहान श्री करण शाक्यवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कोली उम्र 28 साल निवासी किशनगंज जिलाबारां हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग जिला बारां। मो0न0- [illegible] एवं श्री राहुल पंकज पुत्र श्री मोडूलाल पंकज जाति धोबी उम्र 24 साल निवासी मण्डोला छापर जिला बारां हाल सहायक कर्मचारी कार्यालय सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग जिला बारां। मो0न0-9571443821 को साथ लेकर कार्यलय आया। मन उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहन से परिचय प्राप्त कर कार्यलय में उपस्थित परिवादी श्री पन्नालाल से दोनों गवाहान का आपस में परिचय करवाया। दोनो गवाहों से होने वाली टेप कार्यवाही में उपस्थित रहने की सहमति चाही तो दोनो गवाहान ने अपनी अपनी सहमती दी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढकर सुनाया दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर उस पर अपने अपने हस्ताक्षर कियें। समय 2.00 पी0एम0 पर डिजिटल टेप में दिनांक 02.04.2024 एवं दिनांक 03.07.2024 की रिश्वत मांग के सम्बन्ध में रिकार्ड की गई फोन वार्ताएं जो डिजिटल वॉइस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर दोनो गवाहान व परिवादी को मुख्य मुख्य अंश सुनाये गये। परिवादी ने रिकार्डर की वार्ता में एक आवाज अपनी व एक आवाज आरोपी दलाल भरत की तथा एक आवाज उनके अधिकारी/बाबू की होना बताया। दोनो गवाहान व परिवादी के समक्ष रिकार्ड वार्ताओं में रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया। समय 2.30 पी0एम0 पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री पन्नालाल पुत्र श्री दुलीचन्द जाति कोली उम्र 70 साल निवासी मण्डोला वार्ड बारां ने अपने पास से निकालकर आरोपी भरत को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच पांच सौ के 20 नोट कुल अक्षरे कुल दस हजार रूपये मन् प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी चैकी बारां को पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर पृथक पृथक निम्न प्रकार है - क्र.स नोट का विवरण नोट का नम्बर 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7 GE 077290 2 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4 TQ 166949 3 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 9 SA 872111 4 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4 ES 658331 5 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8 RQ 904632 6 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7 FH 041025 7 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 9 AQ 621400 8 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1 KT 437861 9 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3 MW 844872 10 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0 MQ 477753 11 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7 DW 321647 12 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4 FL 664251 13 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4 NH 552372 14 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0 TH 429720 15 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6 MA 306947 16 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2 AH 469972 17 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3 FE 571688 18 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2 AL 151681 19 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8 VT 096026 20 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0 HC 998884 श्री लोकेश कानि0 362 से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शिशि निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री पन्नालाल की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री करण शाक्यवाल से लिवाई जाकर परिवादी श्री पन्नालाल के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई । रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 10,000 रूपयों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री लोकेश कानि0 362 से रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री लोकेश कानि0 362 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस फिनाफ्थलीन पावडर व सोडियम कार्बोनेट की क्रिया प्रतिक्रिया को दृष्टांत देकर दोनों स्वतंत्र गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गय। इस प्रक्रिया के बाद जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार एवं प्रयोग में लिये गये डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शिशि वापस मालखाने में रखवायी गई। श्री लोकेश कानि0 362 के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले शिशि को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों, परिवादी व

गवाहो ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। परिवादी श्री पन्नालाल को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। परिवादी श्री पन्नालाल को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करे या अपने मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर काल करें। डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकार्डर करने हेतु परिवादी को समझाईश की गई। कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थ्लीन पाउडर नियमानुसार मुर्तिब की गई। तत्पशचात समय 02.15 पी0एम0 पर परिवादी ने बताया कि आरोपी भरत दलाल रिश्वत राशि लेने के लिये मेरे घर पर ही आयेगा। इस पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी दलाल भरत के मोबाईल नम्बर पर रिश्वत राशि कहां पर लेके आना है के संबंध में वार्ता करायी गई तो आरोपी दलाल भरत ने 3 बजे के करीब परिवादी को उसके घर पर आने तथा फोन करने के लिये कहा। उक्त वार्ता को डीवीआर में रिकार्ड किया गया। समय 02.45 पी0एम0 पर परिवादी श्री पन्नालाल, श्री दिनेश कुमार कानि0 360 एवं श्री करण शाक्यवाल स्वतंत्र गवाह को प्राईवेट मोटर साईकिल से आगे आगे रवाना किया। उनके पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस प्रेमचन्द, श्री ज्ञानचंद सहायक उप निरीक्षक प्राईवेट वाहन से रवाना हुये साथ ही श्री मनोज शर्मा कानि0 211 स्वतंत्र गवाह श्री राहुल पंकज मय सरकारी वाहन बोलेरो आर0जे0 14 यू बी 0337 मय चालक नरेन्द्र सिंह कानि0 530 के ट्रेप बाक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवशयक सामग्री के साथ साथ चलने की हिदायत कर अम्बेडकर सर्किल मण्डोला वार्ड रवाना हुये। समय 02.55 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के मण्डोला वार्ड शाहबाद रोड पहुंचा। वाहनो को सडक के किनारे खडा करवाया। परिवादी, श्री दिनेश कानि0 360 एवं स्वतंत्र गवाह श्री करण शाक्यवाल को आवशयक हिदायत देकर परिवादी के घर पर रवाना किया। मन उप अधीक्षक मय स्टाफ के बाहर खडे होकर अपनी उपस्थिति छिपाते हुये आरोपी के आने का इन्तजार करने लगा। कुछ समय बाद एक व्यक्ति मोटर साईकिल से आरोपी के घर पर आया तथा अन्दर चला गया । समय 03.35 पी0एम0 पर परिवादी श्री पन्नालाल ने अपने कमरे के बाहर आया और रिश्वत प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ के परिवादी के मकान पर पहुंचा जहां परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया। परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि सामने जो व्यक्ति बैठा है वही भरत है जिसने अभी मुझसे रिश्वत राशि 10 हजार रूपये प्राप्त गिनकर अपने हाथ में पकड रखे है। इस पर सामने बेठै व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर आने का उददेश्य बताया तथा उससे उसका नाम पता पूछा तो वह व्यक्ति एक दम से घबरा गया जिसे तसल्ली देकर बैठाया तथा उससे उसका नाम पुनः पूछा तो उसने अपना नाम भरत वैष्णव पुत्र श्री स्व0 रामकल्याण जाति वैष्णव उम्र 20 साल निवासी कुंज बिहारी कोलोनी अटरू रोड बारां होना बताया। भरत दलाल से परिवादी पन्नालाल से ली गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो उसने बताया की यह राशि मैने श्री बनवारी लाल जी के कहने पर अमरदीप जी बाबू के लिये प्राप्त किये है। इस पर आरोपी भरत के मोबाईल नम्बर से श्री बनवारी के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाया तो उसने स्वयं को परिवादी के मकान के बाहर ही होना बताया। वार्ता के बाद एक व्यक्ति परिवादी के मकान पर उपस्थित आया। उक्त व्यक्ति के बारे मे दलाल भरत से पूछा तो उसने बताया की यही बनवारी लाल जी है जिन्होने मुझे रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये पन्नालाल जी के पास भिजवाया है। इन्होने ही दिनांक 02.07.2024 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बारां के अधिकारी बनकर पन्नालाल जी से मेरे मोबाईल से वार्ता की थी। मन उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो वह व्यक्ति घबरा गया जिसे तसल्ली देकर बैठाया। कुछ समय बाद पुनः नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बनवारी लाल पुत्र रामेश्वर जाति वैष्णव उम्र 48 साल निवासी राधेनगर मैलखेडी रोड बारां हाल हॉस्टल संचालक अनुदानित छात्रावास केलवाडा रोड भवरगढ जिला बारां होना बताया। उक्त आरोपी बनवारी लाल से भरत द्वारा रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बारां के बाबूजी श्री अमरदीप जी ने मुझे पन्नालाल की बेटी दीपिका की सहायता राशि 50 हजार रूपये उसके खाते में जमा होने के संबंध में तथा उसके मोबाईल नम्बर व पते की सूचना दी थी तथा उसका सत्यापन करने एवं उससे खर्चा पानी लेने के लिये कहा था। इस पर मैने मेरे साथी भरत को पन्नालाल जी के घर पर भेजा था जहां पर श्री पन्नालाल जी से उसकी वार्ता हुई थी। वार्ता के अनुसार आज भरत ने 10 हजार रूपये लिये है। उक्त रिश्वत राशि के संबंध में मन उप अधीक्षक पुलिस ने बनवारी लाल से पूछा तो उसने बताया कि उक्त राशि हमने अपने लिये नहीं ली है यह राशि श्री अमरदीप जी बाबू सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बारां के लिये ली है यह राशि मै उन्ही को जाकर दूगां। इस संबंध में मै उनसे बात भी कर सकता हू। परन्तु अमरदीप जी मुझसे फोन कॉल पर वार्ता नहीं करते है वे मुझसे वाटसएप पर वाइस काल करते है तथा सांय को 05.30 बजे के बाद ही वार्ता करते है। आरोपी बनवारी वैष्णव के कहेनुसार उक्त रिश्वत राशि श्री अमरदीप मीणा कनिष्ठ सहायक द्वारा प्राप्त की जानी है। अतः उक्त रिश्वत राशि भरत वैष्णव से स्वतन्त्र गवाह श्री करन शाक्यवाल से प्राप्त कर आरोपी दलाल बनवारी वैष्णव की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दायीं जेब में रखवाई जाकर आवश्यक हिदायत दी गई। स्वतन्त्र गवाह श्री करण शाक्यवाल के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाए गए। आरोपी भरत वैष्णव एवं बनवारी वैष्णव को यथास्थिति में रहने की हिदायत कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता के परिवादी के घर पर मुकीम हुआ। समय

05.30 पीएम पर डी0वी0आर0 चालू कर श्री बनवारी वैष्णव की जर्ये वाट्सअप वाईस काल कर स्पीकर चालू कर श्री अमरदीप से वार्ता करवाई। श्री बनवारी वैष्णव ने श्री पन्नालाल जी से भरत द्वारा लिये गये रूपयो के बारे में काम हो जाने की जानकारी श्री अमरदीप को दी जिस पर श्री अमरदीप ने श्री बनवारी वैष्णव को शाम को फोन करने पर आने की कहा। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। समय 05.45 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस दोनो आरोपीगण श्री भरत वैष्णव व श्री बंनवारी वैष्णव को मय जाप्ता साथ लेकर वाहनो से श्री अमरदीप के किराये के कमरे पर ग्राम गजनपुरा के पास कुछ दूरी पहले जाकर पहुंचे साथ लाये वाहनो को रोड के साईड में खडा कर मन उप अधीक्षक मय टीम के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये आरोपी बाबू श्री अमरदीप के फोन आने का इन्तजार करने लगे। समय 07.55 पी0एम0 पर आरोपी श्री अमरदीप का श्री बनवारी वैष्णव के मोबाईल पर जर्ये वाट्सअप वाईस कॉल आने पर डिवीआर चालू कर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर दलाल बनवारी वैष्णव की बात करवाई तो "श्री अमरदीप ने श्री बनवारी वैष्णव से पुछा कहां हो, इस पर श्री बनवारी वैष्णव ने बताया कि मैं कलेक्ट्री की तरफ हुं। इस पर श्री अमरदीप ने बनवारी वैष्णव से किस किस से रूपये लिये के बारे में पुछा तो श्री बनवारी वैष्णव ने बताया कि दीपिका के रूपये आये और के नही। इस पर आरोपी अमरदीप ने रूपयो के बारे में पुछा कितने रूपये तो श्री बनवारी वैष्णव ने बताया कि दस हजार रूपये आये है। इस पर आरोपी अमरदीप ने बनवारी वैष्णव को कलेक्ट्री के पास दो कमरे वाले मकान के पास मिलने की कहा व फोन काट दिया। उक्त वार्ता को डिवीआर में रिकार्ड कर मन उप अधीक्षक पुलिस हमराह दोनो आरोपीगण व मय जाप्ता के आरोपी श्री अमरदीप द्वारा बताये गये स्थान के पास कुछ दूरी पहले पहुंचा व आरोपी अमरदीप का इन्तजार करने लगे। समय 08.09 पीएम पर श्री बनवारी वैष्णव के मोबाईल से जर्ये वाट्सअप आरोपी श्री अमरदीप मीणा को वाट्सअप वाईस काल कर स्पीकर चालू कर बात करवाई तो अमरदीप ने सिविल लाईन्स सर्किल के पास कोटा रोड पर छोटू की चाय की थडी पर आने को कहा। उक्त वार्ता को डीवीआर में रिकार्ड कर मन उप अधीक्षक पुलिस दोनो आरोपीगण श्री बनवारी वैष्णव व श्री भरत वैष्णव तथा एसीबी जाप्ता को साथ लेकर छोटू की चाय की थडी के पास कुछ दूरी पहले रूके व आरोपी श्री अमरदीप के आने का इन्तजार करने लगे। श्री बनवारी वैष्णव को डीवीआर चालू कर सुपुर्द कर दस हजार रूपये श्री अमरदीप को देने के बाद सिर पर हाथ फेकरकर ईशारा करने की समझाईश कर छोटू की चाय की थडी पर मुकीम किया व आरोपी भरत वैष्णव को वाहन में जाप्ता की निगरानी में छोडकर मन उप अधीक्षक पुलिस व अन्य एसीबी जाप्ता व स्वतन्त्र गवाह के साथ छोटू की चाय की थडी के आसपास छुपाव हासिंल कर मुकिम हुए। थोडी देर बाद एक व्यक्ति सफेद टी शर्ट एवं जिंस पेन्ट पहनकर छोटू की चाय की थडी पर आया और दलाल बनवारी से वार्ता करने लगा। वार्ता के दौरान ही दलाल बनवारी से उक्त व्यक्ति ने ईशारा कर अपनी पैन्ट की पीछे की जैब में राशि रखवाई। रोड लाईट के उजाले में उक्त लेनदेन मन उप अधीक्षक पुलिस व उपस्थित जाप्ता ने देखा। कुछ समय बाद दलाल बनवारी वैष्णव ने मन उप अधीक्षक पुलिस को पुर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेरकर किया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने एसीबी जाप्ता के साथ श्री बनवारी वैष्णव के पास जाकर डिवीआर लेकर बन्द कर अपने पास रखा व श्री बनवारी वैष्णव के सफेद टीशर्ट व जिंस की पेन्ट पहने व्यक्ति की ओर ईशारा कर कहा कि यही श्री अमरदीप बाबू है जिसने ईशारा करके रिश्वत राशि दस हजार रूपये उसकी पहनी जिन्स की पैन्ट की पीछे की बाई जेब में रखवाई है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने सफेद टीशर्ट व जिंस की पेंट पहने व्यक्ति से नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री अमरदीप मीणा पुत्र श्री मुरारी लाल जाति मीणा निवासी मलारना चोड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर का होना बताया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री अमरदीप से दस हजार रूपये रिश्वत राशि लेने बाबत पुछा तो श्री अमरदीप ने बताया कि "मैने कोई रिश्वत राशि श्री बनवारी वैष्णव से नही ली है बनवारी वैष्णव ने जबरदस्ती मेरी जिंस की पेन्ट में रिश्वत राशि रखी है। अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित स्थान न होने व आस पास भीड इकट्ठा होने की संभावना होने से मन उप अधीक्षक पुलिस श्री अमरदीप मीणा को डिटेन कर हमराह लिया व पुलिस थाना सदर हेतु रवाना हुआ। समय 08.40 पी0एम0 पर तीनो डिटेनशुदा आरोपीगण को साथ लाये वाहन में बिठाकर थाना सदर बारां पहुंचा। डी/ओ श्री उमाशंकर थाना सदर बारां से कार्यवाही हेतु कमरा उपलब्ध करवाने की कहने पर डी/ओ द्वारा कार्यवाही के लिए कम्प्यूटर कक्ष का कमरा उपलब्ध करवाया गया। तीनो आरोपीगण को वाहनो से सावधानी पूर्वक उतारकर थाना सदर बारां के कम्प्यूटर कक्ष में लाया गया। तत्पश्चात हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कार्यालय में रखे पानी के केम्पर से एक बोतल में साफ पानी मंगवा कर दो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया गया। दोनां गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा। इस घोल के एक गिलास में आरोपी दलाल भरत वैष्णव के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया । जिसे दो साफ काच की शिशि में आधा-आधा भरवाकर चिट चस्पा कर सील किया गया। शिशि पर मार्क बीआरएच-1, बीआरएच-2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री भरत वैष्णव के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे साफ कॉच की दो शिशि में आधा-आधा भरवाकर चिट चस्पा कर सील किया गया। शिशि पर मार्क बीएलएच-1 बीएलएच-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री भरत वैष्णव की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल पंकज से लिवाई गई तो एक मोबाईल बरंग पीछे से सफेद रियल मी लिखा हुआ मॉडल

नम्बर RMX2040 सिरियल नम्बर IGFBDGAEICAGJHJ, आईएमआई नम्बर 865136048206979, 865136048206961 जिसमें एक सिम बीएसएनएल कम्पनी की नम्बर [redacted] व दुसरी सिम जियो कम्पनी की नम्बर [redacted] की लगी हुई है। मोबाईल को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय में रखे पानी के केम्पर से एक बोतल में साफ पानी मंगवा कर दो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया गया। दोनो गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा। इस घोल के एक गिलास में आरोपी श्री बनवारी वैष्णव के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शिशि में आधा-आधा भरवाकर चिट चस्पा कर सील किया गया। शिशि पर मार्क बीएनआरएच-1, बीएनआरएच-2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री बनवारी वैष्णव के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे साफ कॉच की दो शिशि में आधा-आधा भरवाकर चिट चस्पा कर सील किया गया। शिशि पर मार्क बीएनएलएच-1 बीएनएलएच-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी बनवारी वैष्णव की जामा तलाशी श्री राहुल पंकज स्वतन्त्र गवाह से करवाई गई तो एक सोने की चैन गले में पहनी हुई मिली जिसको सुरक्षित रखवाया तथा आरोपी के परिजन आने पर उन्हे सुपुर्द की जावेगी। आरोपी श्री बनवारी वैष्णव को पुनः चैक करवाया तो एक मोबाईल वीवो कम्पनी का बरंग काला, दो सिम वाला जिसके मॉडल नम्बर VIVO 1907 आईएमआई नम्बर 863296044118396, 863296044118388 जिसमें एक ही सिम नम्बर [redacted] डली हुई है । मोबाईल को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी बनवारी वैष्णव ने आरोपी अमरदीप का मोबाईल ATRU के नाम से सेव किया हुआ है। आरोपी बनवारी वैष्णव का वाट्सअप चालू कर श्री अमरदीप मीणा कनिष्ठ सहायक से वाट्सअप वाईस कालिंग से हुई वार्ता के विवरण एवं दीपिका कोली (परिवादी की पुत्री) का नाम पता एवं खाता संख्या के सम्बन्ध में भेजे विवरण के फोटो मन उप अधीक्षक के मोबाईल से लिये जाकर प्रिन्ट निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर ' शामिल पत्रावली किये गये। तत्पश्चात श्री अमरदीप कनिष्ठ सहायक की तलाशी हेतु स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल पंकज से करवाई गई तो श्री अमरदीप की जिंस की दायीं जेब से पांच सौ का एक नोट, दौ सौ के दो नोट, बीस का एक व दस का एक नोट कुल नौ सौ तीस रूपये मिले जिन्हे अलग रखवाया गया। तत्पश्चात श्री अमरदीप की जिंस की पीछे की बांयी जेब की तलाशी करवाई गई तो उसमें पांच सौ के नोटो की एक गडडी मिली व पांच पांच सौ के चार नोट निकले। जिनको स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल पंकज से गिनवाये गये तो नोटो की गडडी में पांच सौ पांच सौ के कुल बीस नोट होना पाया जिनका मिलान फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पावडर से किया गया तो हू ब हू उसी नम्बर के नोट होना पाया गया। उक्त नोटो के अतिरिक्त मिले दो हजार रूपयो एवं दायीं जेब में मिले नौ सौ तीस रूपये कुल दो हजार नौ सौ तीस रूपये के बारे में अमरदीप से पुछा तो आरोपी द्वारा उक्त राशि स्वयं के खर्चे की होना बताया। परिवादी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण सही प्रतीत होने से दो हजार नौ सौ तीस रूपये को परिवादी के परिजनो को प्रथक से सुपुर्द किया जावेगा। बरामद रिश्वत राशि पांच पांच सौ के बीस नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री अमरदीप की जामा तलाशी लिवाई गयी तो आरोपी की पहनी हुई जिसं की पेन्ट की सामने की बायीं जेब में एक मोबाईल वीवो कम्पनी का नेवी ब्ल्यू दो सीम वाला जिसके मॉडल नम्बर v2055, सिरियल नम्बर 964244220500075 आईएमआई नम्बर 863935055129830, 863935055129822 जिसमें एक सिम बीएसएनएल कम्पनी की नम्बर 8764158449 व दुसरी सिम एयरटेल कम्पनी की नम्बर [redacted] की लगी हुई है। मोबाईल को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। श्री अमरदीप से रिश्वत राशि लेने बाबत पुनः पुछा गया तो श्री अमरदीप ने बताया कि "मैंने कोई रिश्वत राशि नही ली है मैने तो श्री बनवारी वैष्णव को दीपिका के डोक्यूमेन्ट लेने के लिए बोला था। श्री बनवारी वैष्णव ने अपने स्तर पर श्री पन्नालाल जी से दस हजार रूपये लिये है व उनको लाकर मेरी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रख दिये है। इस पर आरोपी बनवारी वैष्णव से पुनः पुछताछ की गई तो बनवारी वैष्णव ने बताया "अमरदीप बाबू ने मेरे वाट्सअप पर दीपिका कोली के खाते में 50000 हजार रूपये डालने का मैसेज कर रिश्वत राशि लेने की कहा था जिस पर भरत वैष्णव व मेरे द्वारा दीपिका के पिता श्री पन्नालाल कोली से दस हजार रूपये रिश्वत राशि बाबू अमरदीप मीणा को देने हेतु प्राप्त किये थे। श्री अमरदीप बाबू द्वारा मुझे जर्ये वाट्सअप काल करके उक्त दस हजार रूपये को लेने हेतु मुझे छोटू की चाय की थडी पर बुलाया था। इस दौरान हमारे मध्य हुई मोबाईल वार्ता को एवं रूबरू वार्ता आपके डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है। छोटू की चाय की थडी पर जब बाबू अमरदीप मीणा दस हजार रूपये लेने आया तो उसने कितने रूपये आये पुछने पर मैंने अमरदीप बाबू को दीपिका के पिता पन्नालाल जी से लिये दस हजार रूपये देने की बात कही। उक्त दस हजार रूपये को मैंने अमरदीप को निकालकर देने लगा तो अमरदीप बाबू ने मुझे उसकी जैब में रिश्वत राशि रखने का ईशारा किया व मुह से सुबह लेने की कहा। मैंने अमरदीप बाबू के ईशारा पर दस हजार रूपये अमरदीप बाबू की जैब में रख दिये। जिनको आपने तलाशी के दौरान जप्त किये है। "आरोपी श्री अमरदीप की पहनी हुई जिंस की पेन्ट के पीछे की बायी जेब का धोवन लेना आवश्यक होने से आरोपी के मित्र सोनू मीणा से पहनने के लिये पजामा मंगवाकर पहनी हुई जिंस की पेन्ट को खुलवाकर मंगवाया गया पजामा पहनाया गया तथा साफ पारदर्शी प्लास्टिक के एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी

डलवाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में आरोपी श्री अमरदीप की जिंस की पेन्ट की पीछे की बायीं जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। इस घोल को भी दो साफ काच की शिशि में आधा-आधा भरवाकर सील चस्पा कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पेन्ट को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया जाकर विवरण अंकित कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क-पी अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री अमरदीप से रिश्वत राशि के बारे में पुनः पुछा गया तो श्री अमरदीप ने बताया कि "मैंरे पास दीपिका कोली की एफआईआर की फाईल एप्रूवल होकर आई थी जिसका मैंने मेरे अधिकारी के निर्देश पर बिल बनाया था। श्रीमति दीपिका के खाते में एफआईआर के 50000 रूपये डले थे जिसकी सूचना मैंने श्री बनवारी वैष्णव को जर्ये वाट्सअप पर दी थी। श्रीमति दीपिका कोली की चालान पेश की फाईल अप्रूवल में चल रही है। चालान पेश की फाईल अप्रूवल होने पर द्वितीय किश्त एक लाख रूपये की श्रीमति दीपिका कोली के खाते में डलना शेष थी। श्री बनवारी वैष्णव ने श्री भरत वैष्णव से मिलकर श्रीमति दीपिका कोली के खाते में दिनांक 02.07.2024 को सहायता राशि 50000 रूपये डलने की एवज में दस हजार रूपये श्रीमति दीपिका के पिता श्री पन्नालाल जी से लिये थे जिनको लाकर श्री बनवारी वैष्णव ने मेरी जिंस की पेन्ट की जेब में रख दिये थे इतने में आप आ गये और मुझे थाना बारां सदर लेकर आ गये। यह रिश्वत राशि मैंने पन्नालाल जी से नही ली है श्री बनवारी वैष्णव ने लाकर मेरी पहनी हुई जिंस की पेन्ट में रख दी है। दलाल भरत वैष्णव एवं बनवारी वैष्णव की हाथ धुलाई की कार्यवाही एवं आरोपी अमरदीप मीणा कनिष्ठ सहायक से रिश्वत राशि बरामदगी की विडियो रिकार्डिंग विधिक प्रावधानो के तहत मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल से तैयार की गई। कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि तैयार की गई। दिनांक 05.07.2024 समय 02.10 ए0एम0 पर आरोपी अमरदीप कनिष्ठ सहायक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बारां को उसकी स्वयं एवं दलाल बनवारी लाल के मध्य हुई रिश्वत लेन देन संबंधी रिकार्ड मोबाईल एवं अन्य वार्ताओं के मुख्य मुख्य अंश चलाकर दोनो गवाहन एवं परिवादी के समक्ष सुनाये गये। उक्त रिकार्ड वार्ताओ में आरोपी अमरदीप कनिष्ठ सहायक की रिकार्ड आवाज का परीक्षण कराने के लिये नमूना अवाज देने के लिये नोटिस दिया गया तो आरोपी अमरदीप ने उसी नोटिस पर लिखकर दिया की मै अपनी आवाज का परीक्षण हेतु नमूना नहीं देना चाहता हू एवं अपने हस्ताक्षर किये। उक्त नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। समय 02.20 ए0एम0 इस समय आरोपी दलाल भरत को उसकी स्वयं एवं दलाल बनवारी लाल के मध्य एवं परिवादी पन्नालाल से हुई रिश्वत मांग एवं लेन देन संबंधी रिकार्ड मोबाईल वार्ताओं के मुख्य मुख्य अं श चलाकर दोनो गवाहन एवं परिवादी के समक्ष सुनाये गये। उक्त रिकार्ड वार्ताओ में आरोपी भरत की रिकार्ड आवाज का परीक्षण कराने के लिये नमूना अवाज देने के लिये नोटिस दिया गया तो आरोपी भरत ने उसी नोटिस पर लिखकर दिया की मै अपनी आवाज का परीक्षण हेतु नमूना नहीं देना चाहता हू एवं अपने हस्ताक्षर किये। उक्त नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। समय 02.30 ए0एम0 आरोपी बनवारी लाल दलाल को उसकी स्वयं एवं दलाल भरत के मध्य, आरोपी अमरदीप कनिष्ठ सहायक के मध्य हुई रिश्वत लेन देन संबंधी रिकार्ड मोबाईल एवं अन्य वार्ताओं के मुख्य मुख्य अंश चलाकर दोनो गवाहन एवं परिवादी के समक्ष सुनाये गये। उक्त रिकार्ड वार्ताओं में आरोपी बनवारी लाल की रिकार्ड आवाज का परीक्षण कराने के लिये नमूना अवाज देने के लिये नोटिस दिया गया तो आरोपी बनवारी लाल दलाल ने उसी नोटिस पर लिखकर दिया की मै अपनी आवाज का परीक्षण हेतु नमूना नहीं देना चाहता हू एवं अपने हस्ताक्षर किये। उक्त नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। समय 02.40 ए0एम0 पर आरोपी अमरदीप कनिष्ठ सहायक को, समय 02.55 एएम पर आरोपी बनवारी वैष्णव दलाल को एवं समय 03.15 एएम पर आरोपी भरत वैष्णव दलाल को विधिक प्रावधानो की पालना कर उनके संवैधानिक अधिकारो से अवगत कराते हुये आरोपीगण की गिरफ्तारी अपरिहार्य एवं आवश्यक होने से बसबूत जुर्म अपराध धारा 7,7ए एवं 12पी.सी एक्ट 1988 (यथा संधोधन) 2018 में मुताबिक फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार प्रथक प्रथक चैक लिस्ट तैयार कर गिरफ्तार किया गया। समय 3.30 ए0एम0 दिनांक 02.07.2024 को परिवादी पन्नालाल व आरोपी दलाल भरत व दलाल बनवारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता प्रथम जो डिजीटल वाइस रिकार्डर के मेमे०री कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वाइस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटोप में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी व गवाहो के समक्ष आवाज पहचान करते हुये फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता प्रथम हू ब हू तैयार करवाई गयी। समय 03.45 ए0एम0 पर दिनांक 02.07.2024 को परिवादी पन्नालाल व आरोपी दलाल भरत के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता जो डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमे०री कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वॉइस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटोप में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी व गवाहो के समक्ष आवाज पहचान करते हुये फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता द्वितीय हू ब हू तैयार करवाई गयी। समय 04.00 ए0एम0 पर कार्यालय के लेपटोप में डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को लगाकर से दिनांक 03.07.2024 को परिवादी पन्नालाल व आरोपी दलाल भरत के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता तृतीय जो डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वाइस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटोप में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी व गवाहो के समक्ष आवाज पहचान करते हुये फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता तृतीय हू ब हू तैयार करवाई गयी। समय 04.15 ए0एम0 पर कार्यालय

के लेपटोप में डिजिटल वॉइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को लगाकर से दिनांक 04.07.2024 को परिवादी पन्नालाल व आरोपी दलाल भरत के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता जो डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वॉइस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटोप में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी व गवाहो के समक्ष आवाज पहचान करते हुये फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता हू ब हू तैयार करवाई गयी। समय 04.30 ए0एम0 पर कार्यालय के लेपटोप में डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को लगाकर से दिनांक 04.07.2024 को परिवादी पन्नालाल व आरोपी दलाल भरत के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता जो डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वाइस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटोप में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी व गवाहो के समक्ष आवाज पहचान करते हुये फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन वार्ता को हू ब हू तैयार करवाई गयी। समय 04.55 ए0एम0 पर कार्यालय के लेपटोप में डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को लगाकर से दिनांक 04.07.2024 को दलाल भरत व आरोपी दलाल बनवारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जो डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वाइस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटोप में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी व गवाहो के समक्ष आवाज पहचान करते हुये फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता को हू ब हू तैयार करवाई गयी। समय 05.00 ए0एम0 पर कार्यालय के लेपटोप में डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को लगाकर से दिनांक 04.07.2024 को आरोपी दलाल बनवारी व आरोपी अमरदीप मीणा के मध्य हुई मोबाईल वार्ता प्रथम, द्वितिय व तृतीय जो डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वाइस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटोप में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी व गवाहो के समक्ष आवाज पहचान करते हुये फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय को हू ब हू तैयार करवाई गयी। समय 05.30 ए0एम0 पर कार्यालय के लेपटोप में डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को लगाकर से दिनांक 04.07.2024 को आरोपी दलाल बनवारी व आरोपी अमरदीप मीणा के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता जो डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वाइस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटोप में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी व गवाहो के समक्ष आवाज पहचान करते हुये फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन वार्ता को हू ब हू तैयार करवाई गयी। समय 05.45 ए0एम0 पर दिनांक 02.07.2024, 03.07.2024, 04.07.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ताएं एवं दिनांक 04.07.2024 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ताएं कुल 10 वार्ताएं (240702_1847, 240702_1850, 240703_1035, 240704_1415, 240704_1538, 240704_1555, 240704_1731, 240704_1956, 240704_1956, 204704_2009, 240704_2019) जो डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी को कार्यालय के सरकारी लेपटाप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटोप से 6 पेन ड्राईव में श्री मनोज कानि0 211 से सेव करवाई गयी। जिसकी फर्द डंबिग पेन ड्राईव श्री मनोज कानि0 211 से तैयार करवाकर एक पेन ड्राईव वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये, तीन पेन ड्राईव आरोपीगण के लिए, एक पेन ड्राईव आवाज नमूना हेतु कपडे की थैलीयों मे पृथक पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जर्ये लेपटोप मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्य की गणना कर प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकोर्डर में उपयोग किये गये sandisk ultra 32 gb मेमोरी कार्ड को न्यायालय के लिये एक कपडें की थैली में रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त आर्टीकल्स मालखाना प्रभारी श्री लोकेश कानि0 362 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। समय 05.55 ए0एम0 पर आरोपीगण श्री अमरदीप मीणा कनिष्ठ सहायक, आरोपी दलाल भरत वैष्णव, आरोपी दलाल बनवारी वैष्णव का मेडीकल मुआयन हेतु श्री मनोज कानि0 211, श्री दिनेश कानि0 360 व श्री लोकेश कानि0 362 मय वाहन सरकारी चालक श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 के राजकीय चिकित्सालय बारां भिजवाकर आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। 07.00 ए0एम0 पर आरोपीगण श्री अमरदीप मीणा कनिष्ठ सहायक, आरोपी दलाल भरत वैष्णव, आरोपी दलाल बनवारी वैष्णव को सुरक्षा की दृष्टि से थाना बारां सदर को जर्ये तहरीर बन्द हवालात किया गया। समय 07.15 ए0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता, गवाहान् के जरिये सरकारी बोलेरो से मय चालक के सीलबन्द शिशि व समस्त सील्ड शुदा माल के साथ थाना सदर बारां से रवाना होकर एसीबी चैकी बारां पहुंचा। जप्तशुदा माल सील्शुदा धोवन की शिशि, पेन्ट का सील्डशुदा पेकेट, सील्डशुदा रिश्वत राशि, श्री लोकेश कुमार कानि0 362 को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय परिवादी मय गवाहान के घटनास्थाल का नक्शा मौका बनाने की कार्यवाही हेतु परिवादी के निवास मण्डोला वार्ड व सिविल लाईन सर्किल के पास छोटू चाय वाले थडी कोटा रोड पहुचंकर घटनास्थाल का नक्शा मौका परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में तैयार किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही व हालात् से पाया गया कि परिवादी श्री पन्नालाल पुत्र श्री दुलीचन्द जाति कोली उम्र 70 साल निवासी पुराना जुकल किशोर जी के मकान के पास मण्डोला वार्ड बारां जिला बारां राज0 की बेटी दीपिका के साथ रामगोपाल गुर्जर ने दिनांक 05.06.2023 को छेड छाड की थी। इस संबंध में परिवादी की पुत्री द्वारा महिला थाना बारां में प्रकरण संख्या 70/2023 दर्ज करवाया था। उक्त प्रकरण में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बारां की और से परिवादी पन्नालाल की बैटी को 1,50,000 रूपये की सहायता राशि प्राप्त होनी थी। उक्त राशि को कार्यालय जिला परीविक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारीजिला बारां में कार्यरत श्री अमरदीप मीणा कनिष्ट

सहायक ने परिवादी पन्नालाल की पुत्री दीपिका के बैंक खाता संख्या 61169959903 में डलवाने का प्रोसेस किया तथा श्री बनवारीलाल दलाल को दीपिका के मोबाईल नम्बर व पता आदि देकर उससे रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये कहा। इस पर श्री बनवारीलाल दलाल ने अपने साथी श्री भरत वेष्णव को उक्त नाम पता एवं मोबाईल नम्बर देकर रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्ति करने हेतु भिजवाया। दिनांक 02.07.2024 को दलाल भरत वैष्णव परिवादी के परिवारजन से सम्पर्क कर उसके घर पर पहंचा। जहां पर परिवादी पन्नालाल उपस्थित मिला तथा रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता की इसकी शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 02.07.2024 को एसीबी चैकी बारां पर पेश की। उक्त शिकायत का दिनांक 02.07.2024 को एवं 03.07.2024 को रिश्वत मांग का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी दलाल भरत वैष्णव ने आरोपी बनवारी लाल को अपने विभाग का अधिकारी बनाकर परिवादी पन्नालाल को रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में संतुष्ट करने हेतु वार्ता करवायी तथा सहायता राशि खाते में प्राप्त होने पर 20 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिसमें प्रथम किस्त खाते में आने पर 10 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। दिनांक 04.07.2024 को परिवादी के द्वारा रिश्वत राशि पेश करने पर टेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम रिश्वत राशि आरोपी भरत वैष्णव दलाल द्वारा प्राप्त की गई। पूछताछ पर उसने उक्त राशि बनवारी लाल दलाल के कहने पर श्री अमरदीप मीणा बाबू के लिये लेना बताया। तत्पश्चात उक्त राशि दलाल बनवारी से आरोपी अमरदीप कनिष्ट सहायक प्राप्त की। रिश्वत राशि दस हजार रूपये आरोपी अमरदीप कनिष्ट सहायक की जिंस की पीछे की बांयी जेब से बरामद की गई। आरोपीगण का उपरोक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए, 12 पी. सी. एक्ट 1988 (यथा संधोधन 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय होने से आरोपीगण 1. श्री अमरदीप मीणा पुत्र श्री मुरारीलाल मीणा जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी मलारना चोड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परीविक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी जिला बारां 2. श्री बनवारी वैष्णव पुत्र श्री रामेश्वर वैष्णव जाति वैष्णव उम्र 48 साल निवासी राधे नगर बारां जिला बारां हाल संचालक अनुदानित छात्रावास भवंरगढ जिला बारां 3. श्री भरत वैष्णव पुत्र स्व0 श्री रामकल्याण वैष्णव जाति वैष्णव उम्र 20 साल निवासी कुंजबिहारी कोलोनी अटरू रोड बारां के विरूद्ध उपरोक्त धारा में अपराध प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (प्रेमचन्द) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री अमरदीप मीणा पुत्र श्री मुरारीलाल मीणा, निवासी मलारना चोड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परीविक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी जिला बारां 2. श्री बनवारी वैष्णव पुत्र श्री रामेश्वर वैष्णव, निवासी राधे नगर बारां जिला बारां हाल संचालक अनुदानित छात्रावास भवंरगढ जिला बारां (प्राईवेट व्यक्ति)3. श्री भरत वैष्णव पुत्र स्व0 श्री रामकल्याण वैष्णव, निवासी कुंजबिहारी कोलोनी अटरू रोड बारां(प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टे.कोटा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 689 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 698-701 दिनांक 06.07.2024 प्रतिलिपि:.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा । 2 निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकिरता विभाग, राजस्थान जयपुर । 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा । 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANITA VERMA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/07/2024 13:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	14/08/1993				
2	Male	1976				
3	Male	2004				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)